भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4739

उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम

4739. श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छात्रों को एकल खिड़की इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से छात्रवृत्तियां और शैक्षणिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम आरंभ किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटित/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): जी, महोदय। प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत, विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) 15 अगस्त, 2015 को सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र शिक्षा ऋण के लिए बैंकों की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें। छात्र पोर्टल पर कहीं भी, कभी भी शिक्षा ऋण के आवेदन ऑनलाइन देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) पोर्टल पर उपलब्ध हो गए हैं।

(ख): विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) को लागू करने के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

*****